

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्ययक अनुभाग)

सिंचाई संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या-जी-1063/आई0बी0/22ए-108बी/अनु0-94/राजस्वलेखा/आवंटन/2700/2017-18,

लखनऊ: दिनांक: जनवरी, 15 2018

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-2/2018/4408/17-27-सिं-9-91 जी0एम0/17, दि0-10.01.2018 द्वारा प्रोजेक्ट स्टीमेट फार पैच रिपेयरिंग ऑफ मेटल्ड रोड ऑफ जौनपुर ब्रान्च फार्म किमी0 77.00 से किमी0 109.800 की परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के लेखाशीर्षक-2701-मध्यम सिंचाई (राजस्व लेखा) के अन्तर्गत एकमुश्त प्राविधानित धनराशि में से रु 75.64 लाख (रु पचहत्तर लाख चौसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

अतः शासन से उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप सिंचाई विभाग के निम्नांकित मुख्य अभियन्ता को उक्त धनराशि सम्बन्धित परियोजना पर व्यय किये जाने हेतु निम्नानुसार धनावंटन/प्राधिकृत किया जाता है:-

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक एवं योजना का नाम	मुख्य अभियन्ता संगठन	आवंटित धनराशि
1	2	3	4
	अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) राजस्वलेखा 2700-मुख्य सिंचाई 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 15-नहर पटरियों को गडढामुक्त करने हेतु कार्यान्वयन 1501-मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव के लिये अतिरिक्त व्यवस्था 29-अनुरक्षण		
1	प्रोजेक्ट स्टीमेट फार पैच रिपेयरिंग ऑफ मेटल्ड रोड ऑफ जौनपुर ब्रान्च फार्म किमी0 77.00 से किमी0 109.800 की परियोजना।	शा0सहा0, लखनऊ।	75.64

(रु पचहत्तर लाख चौसठ हजार मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक-10.01.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जा रहा है। आवंटन आदेशों में शासनादेश दिनांक-10.01.2018 के प्रस्तर के बिन्दु-1 से 14 तक अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परियोजना पर धनराशि का व्यय, आवंटित धनराशि की सीमा के अन्दर रखा जाए तथा किसी प्रकार की देनदारी सृजित न की जाये।

भूपेन्द्र शर्मा

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग

संख्या-जी-1063 / (1)/आई0बी0/तददिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मध्य) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन/अनुश्रवण एवं मूल्यांकन/सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की छायाप्रति सहित।
7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश छायाप्रति सहित।
8. अधिशासी अभियन्ता (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की छायाप्रति सहित।
9. प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
10. कट फाईल हेतु।

(अजय कुमार त्रिवेदी)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।